

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छवड़ा जिला बारां (राज्य)

क्रमांक 98/25

दिनांक 26.09.25

-- :: निर्णय :: --

प्राणी श्री कैलाशीबाई पुत्र/पुत्री कांत नन्दकिशोर न पालना

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खोखई पटवारी मण्डल गुगोरे तहसील छवड़ा

जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 20 में खातेदार मैरामतेदार का

नाम/जमिती कैलाशीबाई पति नन्दा अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से

कैलाशीबाई पति नन्दकिशोर अंकित किया जावे। प्राणी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी गुगोरे

से करवाने पर पटवारी ने कैलाशीबाई पति नन्दा के बजाय कैलाशीबाई पति नन्दकिशोर

करना उचित बताया। तहसीलदार छवड़ा ने भी उक्त खाते में कैलाशीबाई पति नन्दा

के बजाय कैलाशीबाई पति नन्दकिशोर करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत

ग्राम खोखई के खाता संख्या 20 में खातेदार/मैरामतेदार का नाम/जमिती कैलाशीबाई

पति नन्दा के स्थान पर सम्मानजनक रूप से कैलाशीबाई पति नन्दकिशोर का नाम/जमिती

आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छवड़ा तदनुसार नगर रिजर्व में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छवड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारां)